<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2023-हिं.अ. दिनांक: 08.04.2023

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21.03.2023 को हुई जनवरी-मार्च, 2023 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21.03.2023 को अपराह्न 03.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. मीनू बाजपेई, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनवरी-मार्च, 2023 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

08.4.2023

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

<u>वितरण:</u>

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभाग/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि:</u>

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-। (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21.03.2023 को जनवरी-मार्च, 2023 अवधि की आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी-मार्च, 2023 अवधि की बैठक दिनांक 21.03.2023 को सायं 03.00 बजे, प्रो. मीनू बाजपेई, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), एम्स एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. मीनू बाजपेई, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), एम्स, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
2.	डॉ. संजीव लालवानी, चिकित्सा अधीक्षक एवं कुल-सचिव, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ. राकेश कुमार चड्डा, प्रमुख, राष्ट्रीय औषध व्यसन निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री परमानंद आर्य, निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय-।(दिल्ली) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
6.	श्री जितेन्द्र कुमार सक्सेना, अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री विजय पाल, वित्त सलाहकार (का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.), ए.सी.आर. प्रकोष्ठ एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
9.	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री राम सूरत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री कमल भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

11.	श्री शिव शंकर सिंह, सहायक प्रशासन अधिकारी, सम्पदा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री वासुदेव, सहायक प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
13.	प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि:- सुश्री संगीता बसवाल, कुक ग्रेड-II, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
14.	श्रीमती रेणु सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री प्रेमपाल, लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री राजेश कुमार, लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
17.	श्री सतीश कुमार, लेखा अधिकारी, एम.एस.यू., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
18.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि:- श्री रोशन लाल भाटी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
19.	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय के प्रतिनिधि:- श्री उमेश कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रेड- II, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री सी.जी. सत्यन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
21.	उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) की प्रतिनिधि:- सुश्री सुषमा, प्रोग्रामर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
22.	सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग, के प्रतिनिधि:- श्री जितेन्द्र कुमार बहल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा अनुभाग	सदस्य
23.	प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य) की प्रतिनिधि:- सुश्री कमला भाकुनी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	श्री जोगिन्द्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
25.	श्रीमती निर्मला कुजूर, प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. कैंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
26.	श्री भूप सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका कैंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
27.	श्रीमती सुनीता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

28.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
29.	श्री शशिकांत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
30.	प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद के प्रतिनिधि:- श्री देवेन्द्र कुमार, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	सदस्य
31.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

माननीय निदेशक महोदय, अपर निदेशक (प्रशासन) और वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय अपनी पूर्व-नियोजित बैठकों/कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 **<u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 **<u>संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि फरवरी, 2023 से प्रारंभ हुए हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 16 कर्मचारीगण हिंदी टंकण/आशुलिपि का ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 3 **<u>संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आउटसोर्स आधार पर बेसिल के माध्यम से 01 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती हिंदी अनुभाग में की जाएगी और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाएगा।

इस विषय में सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के एक पद को भरने के लिए बेसिल के माध्यम से 02 उम्मीदवारों के नाम हिंदी अनुभाग को प्रेषित किए गए थे जिनमें से एक उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु उपस्थित ही नहीं हुआ तथा दूसरा उम्मीदवार कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद हेतु अनिवार्य अर्हताएं/नियम एवं शर्तें पूरी नहीं कर रहा था।

उपर्युक्त के विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) को आदेश दिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल प्रभाव से आउटसोर्स आधार पर बेसिल के माध्यम से कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की तैनाती के लिए बेसिल को एक ई-मेल भेजा जाए जिसकी एक प्रति हिंदी अनुभाग को भी उपलब्ध कराई जाए तथा संस्थान में रिक्त कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के स्थायी पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन भी अप्रैल, 2023 माह में जारी किया जाए।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 4 <u>संस्थान में राजभाषा पदों के पदनाम में संशोधन संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को पुन: सूचित किया कि समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदनामों को क्रमश: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। सदस्य-सचिव ने इस विषय में समिति को अवगत कराया कि हिंदी अनुभाग द्वारा इस संबंध में नवम्बर, 2021 में भर्ती प्रकोष्ठ को अनुरोध किया था तथा यह मामला लगभग 02 वर्षों से अभी तक लम्बित है।

इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु तत्संबंधी फाइल शासी निकाय की शीघ्र आयोजित होने वाली बैठक में अनुमोदन हेतु रखी जाएगी तथा मामला अभी प्रक्रियाधीन है।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी कैडर के कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदनामों को क्रमश: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाए। समिति के उक्त निर्णय को माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 5 <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिस प्रकार शैक्षिक अनुभाग अपने ही व्यय पर संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट को हिंदी अनुभाग के माध्यम से अनुवाद करवाकर द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर सुविधा भी संस्थान की वेबसाइट को अपने व्यय पर हिंदी अनुभाग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पैनल से आउटसोर्स आधार पर हिंदी अनुवाद कराएगा और संस्थान की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में अपलोड करके संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा कंप्यूटर सुविधा को एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि उनके विभाग से संबंधित उक्त सूचना स्थायी प्रकृति की है और वर्तमान वित्त वर्ष की है। सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि इस संबंध में हिंदी अनुभाग द्वारा दिनांक 20.03.2023 को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपान्तर हिंदी अनुभाग की निगरानी में होता आ रहा है, ठीक उसी प्रकार संस्थान की वेबसाइट के द्विभाषीकरण का कार्य भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पैनल से आउटसोर्स आधार पर हिंदी अनुभाग की निगरानी में संचालित कराया जाए। इसके लिए कंप्यूटर सुविधा द्वारा संबद्ध विभागों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र सहित अनुवाद हेतु सामग्री का मानक रूप हिंदी अनुभाग को प्रेषित किया जाएगा जिसे हिंदी अनुभाग द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पैनल के माध्यम से हिंदी अनुवाद करवाकर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु कंप्यूटर सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। इस मद पर होने वाला समस्त व्यय कंप्यूटर सुविधा द्वारा वहन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई -कंप्यूटर सुविधा/ हिंदी अनुभाग

मद सं. 6 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने <u>संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है लेकिन संस्थान का दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी पत्राचार 65.13% ही है।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि पिछली बैठक के दौरान माननीय निदेशक महोदय ने आदेश दिया था कि हमें कम से कम 75% कार्य हिंदी में ही करना है और हिंदी में कार्य की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए माननीय निदेशक महोदय ने यह आदेश भी दिया था कि

संस्थान के प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न फार्मों को संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए जिसके अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा लगभग 130 फार्म हिंदी/द्विभाषी रूप में संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु कंप्यूटर सुविधा को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं।

माननीय संकायाध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि संस्थान के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा जल्दी-जल्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। इस पर सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि दिनांक 22 फरवरी, 2023 को ही संस्थान के आशुलिपिकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया था। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि जल्दी ही संस्थान के अधिकारियों के लिए भी एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए पत्राचार में और वृद्धि की जाए तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों के अधिकारियों के लिए भी एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

मद सं. 7 **माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासनों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करने संबंधी।**

इस विषय में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 30.06.2022 को संस्थान का राजभाषायी निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान एम्स, नई दिल्ली द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को जो आश्वासन दिए गए थे, उन पर एम्स, नई दिल्ली द्वारा अनुपालनात्मक कार्रवाई निष्पादित करने तत्संबंधी रिपोर्ट माननीय समिति सचिवालय को दिनांक 23.12.2022 को प्रेषित कर दी गई है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा इस विषय में अनुपालनात्मक कार्रवाई करने हेतु निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से दिनांक 20.12.2022 को एक आदेश भी जारी किया गया है।

इस संबंध में, सदस्य-सचिव ने समिति को यह सूचित किया कि माननीय समिति को दिए गए सभी आश्वासन महत्वपूर्ण है तथापि इन आश्वासनों में से निम्नलिखित तीन आश्वासन मुख्य हैं जिन पर संस्थान के संबंधित विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा यथाशीघ्र अनुपालनात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

1. **बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा हिंदी पुस्तकों की खरीद:-** भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों की खरीद में 50% बजट हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय करना अपेक्षित है।

2. **संस्थान में हिंदी पदों का सृजन:-** सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में हिंदी के नए पदों के सृजन हेतु एक प्रस्ताव भर्ती प्रकोष्ठ को भेज दिया गया है जिस पर आवश्यक कार्रवाई भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा की जानी अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि उक्त प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति में विचार हेतु भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) को आदेश दिया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा इस संबंध में जो भी कार्रवाई की जाए, उससे हिंदी अनुभाग को भी अवगत कराया जाए।

3. **संस्थान में हिंदी में मूल पत्राचार को बढ़ाना:-** संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए आंकड़ों में और वृद्धि की जानी अपेक्षित है।

उपर्युक्त मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद पर नियमानुसार 50 प्रतिशत व्यय किया जाए।
2. भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
3. संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए आंकड़ों में अपेक्षित वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय/भर्ती प्रकोष्ठ/संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभाग/केन्द्र/ हिंदी अनुभाग

मद सं. 9 <u>संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर समय पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।</u>

इस विषय में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर समय पर निष्पादित कर शैक्षिक अनुभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान चिकित्सा अधीक्षक एवं कुल-सचिव महोदय ने कहा कि आगामी वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रूपांतर के लिए सभी विभागों से वार्षिक रिपोर्ट के अंग्रेजी अध्याय पिछले वर्ष की तुलना में और पहले उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा ताकि संस्थान की

वार्षिक रिपोर्ट के अंग्रेजी अध्याय समय पर उपलब्ध हो जाने पर उनका हिंदी रूपांतर भी नवम्बर तक पूरा करा लेने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

इस पर सदस्य-सचिव ने समिति को आश्वासन दिया कि जैसे-जैसे वार्षिक रिपोर्ट के फाइनल अंग्रेजी अध्याय शैक्षिक अनुभाग की ओर से हिंदी अनुभाग को हिंदी रूपांतर हेतु प्राप्त हो जाएंगे, उनका हिंदी रूपांतर भी समय पर शैक्षिक अनुभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट को समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से संसद के पटल पर रखा जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष प्रकट किया और कुल-सचिव को इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र करने के निदेश दिए।

कार्रवाई- कुल-सचिव/हिंदी अनुभाग

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।